(ख) जी नहीं ।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHEB SHINDE): (a) Nationals of America, Germany and Britain among others are doing relief work in Bihar.

(b) No, Sir.]

‡ग्राम सभा (दिल्ली) के प्रधान के विरुद्ध शिकायतें

719. **श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965 में पटपड़गंज, दिल्ली के लगभग 100–125 निवासियों ने ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान के विरुद्ध दिल्ली प्रशासन के पास सामहिक रूप से कतिपय लिखित शिकायतें की थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन शिकायतों की जांच उस समय के असिस्टेंट डेवेलपमेंट कमिश्नर (पंचायत), दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई थी ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर हां हो, तो वे शिकायतें क्या थीं और उक्त जांच के क्या परिणाम निकले; और

(घ) क्या जांच के परिणामस्वरूप किये गये निर्णयों को कार्यान्वित कर दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†[‡COMPLAINTS AGAINST PRADHAN OF GRAM SABHA (DELHI)

719. SHRI S. K. D. PALIWAL: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in 1965 about 100—125 residents of Patparganj (Delhi) jointly lodged certain complaints in writing with the Delhi Administration against the present Pradhan of the Gram Sabha;

(b) if so, whether these complaints were enquired into by the then Assistant Development Commissioner (Panchayat), Delhi Administration;

(c) if the answers to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the details of these complaints and the results of the said enquiry; and

(d) whether the decisions of the enquiry have since been given effect to and if not, the reasons therefor?]

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

1965 में 89 ग्रामीणों ने प्रधान, ग्राम सभा, पटपड़गंज के विरुद्ध, अध्यक्ष, खंड पंचायत समिति, शाहदरा के पास सामूहिक रूप से एक शिकायत की थी । उसके विरुद्ध एक दूसरी शिकायत विकास आयुक्त के पास 17 व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से की गई थी । अध्यक्ष, खंड पंचायत समिति तथा खण्ड विकास अधिकारी शाहदरा ने प्रथम शिकायत की जांच की थी । उनकी रिपोर्टों के आधार पर गांव पंचायत पटपड़गंज को यह बताने के लिए नोटिस दिया गया था कि क्यों न उसे विस्थित किया जाए । नोटिस का उत्तर देते हुए पंचायत ने चाहा कि सहायक विकास आयुक्त (पंचायत) को गांव का दौरा करना चाहिये और वहां स्थिति स्वयं देखनी चाहिए । तदनुसार उन्होंने मामले की जांच करने के लिए गांव का दौरा किया ।

†[ ] English translation.

‡Transferred from the 9th June, 1967.

प्रधान के विरुद्ध मुख्य आरोप ये थे :—

(1) प्रधान ने पार्टीबाजी की वजह से बेदखली के झूटे मुकदमे दायर किए जिसके फलस्वरूप गांव सभा क्षेत्र निधि व्यर्थ खर्च हुई ।

(2) प्रधान ने अपनी मर्जी के अनुसार उन लोगों के विरुद्ध मुकदमे दायर किए जो उसका विरोध करते थे ।

(3) प्रधान ने अपने गांव शमसपुर जहांगीर के रहने वालों के विरुद्ध बेदखली का कोई मुकदमा दायर नहीं किया ।

(4) प्रधान तथा उसके संबंधियों ने गांव सभा की भूमि का अधिक्रमण किया है ।

सहायक विकास आयुक्त (पंचायत) इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कुछ अतिक्रमणों जिनमें एक प्रधान द्वारा तथा एक उसके भाई द्वारा शामिल है, को छोड़ कर पंचायत का काम संतोषजनक रूप से चल रहा है ।

प्रधान को निदेश दिया गया था कि वह अपने कब्जे को छोड़ दे और दूसरों के विरुद्ध बेदखली के मुकदमे दायर करे । बेदखली के मुकदमें दायर करने से पहले प्रधान ने अनुरोध किया कि गांव सभा की भूमि का विस्तृत सीमांकन किया जाए ताकि बेदखली की कार्यवाही में सुविधा हो सके । नायब तहसीलदार (पंचायत) की सीमांकन करने का निदेश दिया गया था । यह कार्य कर दिया गया है और प्रधान को पुन: सलाह दी गई है कि वह अतिक्रमणों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही करे और खण्ड विकास अधिकारी शाहदरा को इसके अनुपालन पर नजर रखने के लिए कहा गया है ।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) to (d) In 1965, one complaint against the Pradesh, Gram Sabha, Patparganj was made by 89 villagers jointly to the Chairman, Block Panchayat Samiti, Shahdara. A second complaint was made against him by 17 persons jointly to the Development Commissioner, Delhi. The first complaint was enquired into by the Chairman, Block Panchayat Samiti and the Block Development Officer, Shahdara. On the basis of their reports, a notice was served on the Gaon Panchayat, Patparganj to show cause why it should not be superseded. While replying to the notice the Panchayat wanted that the Asstt. Development Commissioner (Panchayats) should visit the village and see things for himself. He, accordingly, paid a visit to the village to look into the matter.

The main allegations against the Pradhan were:

(i) The Pradhan filed false ejectment cases on account of party-politics resulting in the wastage of Goan Sabha Area Funds.

(ii) The Pradhan filed cases according to his own sweet will against those persons who opposed him.

(iii) The Pradhan did not file any ejectment case against any resident of his own village Shamaspur Jhangir.

(iv) The Pradhan and his relatives have made encroachments on the Gaon Sabha land.

The Asstt. Development Commissioner (Panchayats) concluded that but for some encroachments including one by the Pradhan and one by

†[ ] English translation.

his brother, the work of the Panchayat was going on satisfactorily.

The Pradhan was directed to surrender his possession and file ejectment suits against the others. Before filing the cases, the Pradhan requested for detailed demarcation of the Gaon Sabha land so as to facilitate ejectment proceedings. The Naib Tehsildar (Panchayats) was directed to carry out the demarcation. That has been done and the Pradhan has again been advised to take immediate action against the encroachments and the Block Development Officer, Shahdara has been asked to keep a watch over the compliance.]

†दिल्ली में जमीन पर नाजायज कब्जा

†720 **श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम सभा, पटपड़गंज, दिल्ली के वर्तमान प्रधान द्वारा अपने पद-काल में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध जमीन पर नाजायज कब्जे के मुकद्मे दायर किये गये है ,

(ख) उन मुकदमों में ग्राम सभा ने कितना रुपया खर्च किया और उसमें से कुल कितना रुपया ग्राम सभा के प्रधान को भत्तों के रूप में प्राप्त हुआ ; और

(ग) उपरोक्त मुकदमों में से कितने मुकदमों में ग्राम सभा की विजय हुई और कितनों में हार ?

‡[†UNAUTHORISED OCCUPATION OF LAND IN DELHI

720. SHRI S. K. D. PALIWAL: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the number of persons against whom cases regarding unauthorised occupation of land were field by the present Pradhan of the Gram Sabha, Patparganj, Delhi during his tenure of office;

(b) the amount of money spent by the Gram Sabha in these cases and the total amount of money out of this amount which was received by the Pradhan of the Gram Sabha as allowances; and

(c) the number of cases out of the total number of cases mentioned above which were won or lost by the Gram Sabha?]

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) वर्तमान पंचायत के कार्यकाल के दिसम्बर 1963 से शुरू होने से अब तक ग्राम सभा पटपड़गंज में 40 व्यक्तियों के विरुद्ध जमीन पर नाजायज कब्जे के 29 मुकदमें दायर किए है । अब तक जिन 8 मुकदमों का निर्णय हुआ है उनमें से ग्राम सभा ने दो जीते है और 6 हारे है। अब तक इन मुकदमों पर 4,148.58 रुपए खर्च हुए हैं, जिनमें 584.00 रूपए भत्ते के भी शामिल हैं जो ग्राम सभा के प्रधान ने लिए हैं ।

‡[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): (a) to (c) Since the commencement of the tenure of the present Panchayat in December, 1963, the Gram Sabha, Patparganj, has filed 29 cases against 40 persons for unauthorised occupation of land. Out of the 8 cases decided so far, the Gram Sabha has won 2 and lost 6. The expenditure incurred in these cases so far has been Rs. 4,148.57 Paise inclusive of allowances, amounting to Rs. 584.00, received by the Pradhan of the Gram Sabha.]

†Transferred from the 9th June, 1967.

‡ [ ] English translation.